राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प.3 (IV) आ.कृ./लेखा /एजी/2019–20/822-38 दिनांक 1/6/20

निदेशक
राज्य कृषि प्रबंध संस्थान,
दुर्गापुरा, जयपुर

संयुक्त निदेशक
कृषि, गुण नियंत्रण/वनस्पति/पौध व्याधि राज्य जैव उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर

संयुक्त निदेशक
कृषि (तिलहन),
भरतपुर

संयुक्त निदेशक
कृषि (विस्तार), बीकानेर/भीलवाडा/श्रीगंगानगर/जयपुर/जालौर/जोधपुर/कोटा/सीकर/उदयपुर

विषयः– महालेखाकार कार्यालय/निरीक्षण विभाग के आंतरिक जाँच प्रतिवेदनों में वसूली से सम्बन्धित आक्षेपों में अंकित राशि की वसूली कराने बाबत्।

संन्दर्भः– विभागीय पत्र क्रमांक प.3(IV) आ.कृ./लेखा/नि.नि.प्र./2019–20/7279–95 दिनांक 11.12.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महालेखाकार कार्यालय/निरीक्षण विभाग के आन्तरिक जांच दलों द्वारा समय–समय पर विभाग के लेखों का अंकेक्षण किये जाने पर उनके द्वारा चोरी, गबन, हानि, दुर्विनियोजन, संवीदा दायित्वों का उल्लघंन, निरर्थक एवं आधिक्य व्यय, निधियों का निष्क्रिय निवेश तथा अन्य विविध मदों में वसूली राशि के आक्षेप गठित किये गये है। किन्तु समय रहते सम्बन्धित कार्मिक/संस्था से आक्षेपित राशि की नियमानुसार वसूली कार्यवाही नहीं की जाती है, जिससे प्रतिवर्ष वसूली योग्य राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। सन्दर्भित पत्र द्वारा भी महालेखाकार कार्यालय/निरीक्षण विभाग के आंतरिक जाँच प्रतिवेदनों के आक्षेपों में आक्षेपित/वसूली योग्य राशि की संबंधितों से वसूली हेतु निर्देशित किया गया था। किन्तु इस संबंध में अभी तक आप द्वारा की गयी कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया है।

महालेखाकार कार्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदनों में गठित आक्षेपों मे बताई गई वसूली योग्य राशि की समय पर वसूली नही होने के कारण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2017–18 में अनुच्छेद शामिल किया गया है, जो कि गंभीर विषय है।

उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि महालेखाकार कार्यालय/निरीक्षण विभाग के अंकेक्षण दलों द्वारा समय–समय पर गठित वसूली के आक्षेपों में उल्लेखित राशि की अधिक से अधिक वसूली की जाकर स्थिति शून्य की जाने का प्रयास किया जावे। यदि अपने स्तर पर वसूली करने में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो मुख्यालय को स्थिति से अवगत करावें। ताकि महालेखाकार एवं विधान सभा में जनलेखा समिति को उक्त अनुच्छेद की ठोस पालना प्रेषित की जा सके।

29.5.20

(डा. ओम प्रकाश)
आयुक्त, कृषि

क्रमांक प.3 (IV) आ.कृ./लेखा/नि.नि.प्र./2019–20/822-38 दिनांक 1/6/20

प्रतिलिपीः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन) को प्रेषित कर लेख है कि कृपया आप अपने स्तर से भी आक्षेपनीय वसूली योग्य राशि की कार्यवाही करावें।
3. एसीपी को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय पत्र को कृषि विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध करावें।

वित्तीय सलाहकार, कृषि

454

CAO/A-4-3

Chitra (JA)
Recd
12/6/20
12/6/20